पत्र संख्या : 2/पें०एवंले०-12-01/2024 ....1957/पें०ले०वि०....

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान प्रचिव/ सचिव,
सभी आयुक्त/ उपायुक्त / सभी पुलिस अधीक्षक,
सभी विभागध्यक्ष /सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन, सभी ई० पेंशन नोडल पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 31-07-2024

विषय :- राज्य सरकार के सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों के लिए ससमय Online पेंशन आवेदन पर स्वीकृति हेतु दिशा निर्देश के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड का गै०स०प्रे०सं०- Pen_EDP/Delay Analysis/2024-25/26 दिनांक- 27.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में Online पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2369/वि० दिनांक- 13.07.2017 द्वारा दिशानिर्देश निर्गत किये गए है तथा पत्रांक - 1564/वि० दिनांक - 29.06.2018 द्वारा Online पेंशन व्यवस्था को राज्य में दिनांक- 01.07.2018 के प्रभाव से पूर्ण रूपेण लागू किया गया है। उपरोक्त संकल्प में Online पेंशन स्वीकृति के विभिन्न चरणों में कार्य निष्पादन हेतु समयसीमा निर्धारित की गई है, परन्तु प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा सुचना प्राप्त हुई है कि राज्य सरकार के अधिकतर कार्यालयों द्वारा उक्त समयसीमा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक गै०स०प्रे०सं० द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के 516 राजपत्रित तथा 6415 अराजपत्रित पेंशनर के आवेदन महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त हुए जिनमे सेवानिवृति तिथि के पूर्व केवल 7% राजपत्रित पेंशनर तथा 15% अराजपत्रित पेंशनर का आवेदन महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जबकि अन्य मामलो में पेंशनर के सेवानिवृति तिथि के उपरान्त पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त आवेदन में 2061 आवेदन में कतिपय त्रुटियाँ थी जिनके निराकरण

का अनुरोध करते हुए महालेखाकार कार्यालय द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 200 (a) के आलोक में संबंधित स्वीकृति पदाधिकारी को आवेदन लौटाया गया। महालेखाकार द्वारा लौटाए गए उक्त आवेदन में से 365 पेंशन आवेदन अभी भी लंबित है।

3. विदित हो कि तकरीबन 47% पेंशन प्रपत्र कर्मी के सेवानिवृति के तीन महीने से अधिक अवधि के विलम्ब से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये गए है। उक्त के क्रम में अनुरोध है कि झारखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत सभी नियमित कर्मी, जो पेंशन नियमावली में निहित नियमो के अधीन पेंशन प्राप्त करने के योग्य है, वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2369/वि० दिनांक- 13.07.2017 द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में निर्धारित समयसीमा का अनुपालन करते हुए महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि :-

i. पेंशनर (सम्प्रति कर्मी) द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु सेवानिवृति के छह से तीन माह पूर्व की अवधि के बीच अनिवार्य रूप से पेंशन प्रपत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।

ii. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सभी निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए प्राप्त पेंशन प्रपत्र कर्मी के सेवानिवृति के दो माह पूर्व अनिवार्य रूप से स्वीकृति पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया जाएगा।

iii. संबंधित स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा उक्त पेंशन प्रपत्र को संभी वांछित दस्तावेज सहित कर्मी के सेवानिवृति के एक माह पूर्व अनिवार्य रूप से महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त समयसीमा का अनुपालन नहीं करने वाले पेंशनर (सम्प्रति कर्मी), निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा स्वीकृति पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा रोक लगाई जा सकेगी।

24/04/24.

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव